बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
—:: अधिसूचना ::—

सं० सं०—17 / विविध 02—07 / 2014 पटना, दिनांक :— / / 2025

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग के निम्नांकित प्राध्यापकों को अधिसूचना निर्गत की तिथि से अगले आदेश तक कार्यकारी व्यवस्था के तहत स्तम्भ—04 में अंकित राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के प्राचार्य / अधीक्षक के पद का प्रभार दिया जाता है:—

क्र० सं०	नाम	पूर्व धारित पद, विभाग एवं चिकित्सा संस्थान का नाम	पद / पदस्थापन संस्थान का नाम
1	2	3	4
1	डा० अलका झा	प्राध्यापक, नेत्र रोग विभाग—सह—अधीक्षक , दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, लहेरियासराय, दरभंगा।	प्राचार्य, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा।
2	डा० शीला कुमारी	प्राध्यापक, फिजियोलॉजी विभाग, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा।	अधीक्षक, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, लहेरियासराय, दरभंगा।
3	डा० अलका सिंह	प्राध्यापक, शिशु रोग विभाग, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना।	अधीक्षक, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना।

2. डा० सी० पी० जायसवाल, प्राध्यापक, पैथोलॉजी विभाग, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त नवनिर्मित राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, छपरा, सारण में शैक्षणिक एवं चिकित्सीय कार्य प्रारम्भ करने के निमित्त उक्त संस्थान का अधीक्षक (वित्तीय शक्ति सहित) पद का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

3. अधिसूचित प्राचार्य / अधीक्षकों को वित्त विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या—9262 / वि०, दिनांक—01.10.2011 के द्वारा अधिसूचित बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम—84 के अंतर्गत उक्त संस्थान के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की शक्ति प्रदान की जाती है।

4. संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में अधीक्षक के पद पर पूर्व से कार्यरत चिकित्सक शिक्षक को निदेशित किया जाता है कि वे संबंधित को प्रभार सौंपना सुनिश्चित करेंगे।

5. प्राचार्य / अधीक्षक के पद पर अधिसूचित चिकित्सक शिक्षक संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष के प्रभार में नहीं रहेंगे।

6. एतद् संबंधी पूर्व में निर्गत अधिसूचना / आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

7. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/—
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सं० सं०— 17 / विविध 02—07 / 2014-06(17) पटना, दिनांक :—05/01/2025

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (ले० एवं ह०), वीरचन्द पटेल पथ, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वि०दा०नि०कोषांग) विभाग, बिहार, पटना / संबंधित सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संबंधित प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संबंधित सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार/संबंधित सभी जिला पदाधिकारी एवं संबंधित सभी सिविल सर्जन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित चिकित्सक शिक्षकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सभी अपर सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, 02, 03, 07, 08, 09, एवं 18A स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Sanu Kumar
05/01/2025

विशेष कार्य पदाधिकारी।

06(17)
05/01/2025